जन्म तिथि/नाम में सुधार/ परिवर्तन के संबंधित नियम निम्नलिखित हैं :

जन्म तिथि में सुधार संबंधी नियम	विद्यालय के प्रमुख द्वारा जन्मतिथि में सुधार के लिए उप-विधि 69.2 (iii) में उल्लिखित दस्तावेज़ों सहित यथाविधि अग्रेषित आवेदन पर बोर्ड द्वारा परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से मात्र 01 वर्ष के भीतर विचार किया जाएगा। 01 वर्ष की उक्त अवधि के उपरांत प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा।
नाम/उपनाम इत्यादि की वर्तनी में सुधार संबंधी नियम	उम्मीद्वार के नाम/उप-नाम, पिता के नाम/माता के नाम या अविभावक के नाम को विद्यालय अभिलेख या विद्यालय द्वारा प्रस्तुत उम्मीद्वार सूची के अनुरूप करने के लिए वर्तनी त्रुटियों, तथ्यपरक मुद्रण त्रुटियों में सुधार की सीमा तक नाम में सुधार किया जा सकता है, उम्मीद्वार/पिता/माता/ अविभावक के नाम में सुधार के लिए आवेदनों पर परीक्षाफल घोषित होने की तिथि के 01 वर्ष के भीतर विचार किया जाएगा बशर्ते कि उम्मीद्वार का आवेदन संस्था प्रमुख द्वारा निम्नलिखित साक्ष्यांकित दस्तावेज़ों के साथ अग्रेषित किया गया हो:- i. प्रवेश के समय माता-पिता द्वारा भरे गए आवेदन फार्म, जो संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित हों, की सत्य प्रति ii. प्रवेश के समय उम्मीद्वार के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र जो, संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित हो, की सत्य प्रति iii. विद्यालय के प्रवेश व निकासी रजिस्टर के पृष्ठ के उस भाग, जहॉ उम्मीद्वार के संबंध में प्रविष्टि की गई हो की संबंधित संस्था प्रमुख से विधिवत साक्ष्यांकित सत्य प्रति।
नाम में परिवर्तन संबंधी नियम	उम्मीद्वारों के नाम या उपनाम में परिवर्तन संबंधी आवेदनों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है तथा उम्मीद्वार के परीक्षाफल के प्रकाशन से पूर्व शासकीय गजट में अधिसूचित किया गया।